न्यायालय जिला न्यायाधीश, मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–प्रमिल कुमार माथुर,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सिविल अपील डिक्री संख्या 16/2014 (CIS No.203/2014)

नगरपालिका, मेड़तासिटी, जरिये अधिशासी अधिकारी.

...अपीलार्थी/प्रतिवादी

विरूद्ध

1–राधामोहन पुत्र गोरधनलाल सोनी, उम्र 65 वर्ष, जाति माहेश्वरी,
2–शरद कुमार पुत्र गोरधनलाल सोनी उम्र 50 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासीगण मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

3–जुगल किशोर पुत्र बालकिशन, उम्र 65 वर्ष, जाति माहेश्वरी मंत्री, निवासी डांगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

4–चैनरूप पुत्र मानसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति राजपुरोहित, निवासी मेड़तासिटी, मीरा ऑयल मील, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया,

5–गणपतराज पुत्र सोहनराज उम्र 70 वर्ष, जाति ओसवाल निवासी मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

6–भोलाराम पुत्र धूलाराम उम्र 75 वर्ष, जाति जाट निवासी हाल मेड़तासिटी, पुराना पुलिस थाने के पास।

.....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

...

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–09–2013 जो श्रीमती सरिता नौशाद,आर.जे.एस.अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा दीवानी नियमित वाद संख्या 30/2008 (47/2003) राधामोहन विरूद्ध नगरपालिका मेड़ता एवं अन्य में पारित किया गया।

...

उपस्थित–

1–श्री रामकिशोर पंचारिया, अभिभाषक अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से।
2–श्री गोरधनलाल सोनी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 3 की ओर से।
3–श्री जगदीश नारायण शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से।
4–श्री महिपाल चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से।
प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

::निर्णय:: **दिनांक 23–07–2018**

अपीलार्थी नगरपालिका (मूल वाद में प्रतिवादी) द्वारा हस्तगत अपील प्रत्यर्थी संख्या एक (मूल वाद में वादी), प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 (मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 6 एवं 5), प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 (मूल वाद में क्रमशः प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने चैतन्य नगर कॉलोनी में भूखण्ड संख्या ए.21 अपनी मौसी के लड़के जुगलकिशोर के नाम से, भूखण्ड संख्या ए.22 अपने छोटे भाई शरद कुमार के नाम से तथा भूखण्ड संख्या ए.23 स्वयं के नाम से नगरपालिका, मेड़ता से नीलामी में क्रय किये थे तथा नगरपालिका के निर्णय दिनांक 31–07–85 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने दिनांक 15–02–86 को वाद पत्र की चरण संख्या दो में वर्णनानुसार राशि जमा करवा दी, तभी से प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने उक्त तीनों भूखण्डों को एक ही भूखण्ड बनाकर कब्जा कर लिया था। प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का उपरोक्त भूखण्डों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। नगरपालिका मेड़ता द्वारा प्रेषित विभिन्न सूचना पत्र के जबाब में भी प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी लिखकर दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का कब्जा नगरपालिका से खरीदे गये भूखण्डों पर ही है और उनका कोई अतिक्रमण नहीं है।

दिनांक 25–02–87 एवं तत्पश्चात् विभिन्न दिनांकों को प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने नगरपालिका को लिखित में निवेदन किया कि उक्त भूखण्डों का पंजीयन प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी के हक में करवाया जावे, लेकिन नगरपालिका ने लापरवाहीपूर्वक उक्त भूखण्डों का पंजीयन नहीं करवाया है।

दिनांक 19–09–1997 को नगरपालिका ने प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी को नोटिस दिया कि चैतन्य कॉलोनी में भूखण्ड संख्या ए–20 व ए–21 के बीच रास्ता है, जहां पर पट्टियां रोपकर आपका कब्जा किया हुआ है, उसे हटावे, जबकि प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी द्वारा खरीदे गये भूखण्ड में कोई

रास्ता नहीं था।

प्रतिवादी संख्या 3 बदनियती से भूखण्ड संख्या ए—24 की जगह पर कब्जा करना चाहता है एवं रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाह रहा है। प्रतिवादी संख्या एक व दो ने प्रतिवादी संख्या तीन व चार से बदनियती से मिलकर दिनांक 17—04—2003 को वादी के भूखण्ड पर लगी हुई पट्टियां हटा दी तथा शेष अन्य भूखण्डों पर वादी के कब्जा, उपयोग, उपभोग में व्यवधान कर रहे हैं। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में जारी कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित सम्पति के उपयोग, उपभोग में दखल न तो स्वयं करें और न किसी से करावें तथा इस आशय की आदेशात्मक निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि रास्ते पर किये गये अवरोध को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से हटवादें।

3— प्रतिवादी संख्या एक एवं दो ने वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत कर सारतः निवेदन किया कि दिनांक 18—12—81 को उपरोक्त भूखण्ड की नीलामी जुगलकिशोर, शरद कुमार एवं राधामोहन के नाम छूटी थी। तत्पश्चात् उन्होंने वांछित राशि जमा नहीं करवायी, 1/4 राशि जमा होने के बाद एक माह निकल जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति राशि जमा नहीं करवाता है तो अगले एक माह तक अध्यक्ष नगरपालिका को राशि जमा करने का अधिकार होता है एवं तत्पश्चात केवल राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही राशि जमा की जा सकती है। दिनांक 15—02—86 को तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका ने 3/4 राशि जमा कराने का आदेश कानून से हटकर दिया था, वह आदेश कानून की दृष्टि में शून्य की तारीफ में आता है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त सम्पति पर वादी का कब्जा चला आ रहा है, क्योंकि नगरपालिका ने वादी को कब्जा सौंपा ही नहीं था। यह कहना गलत है कि एक भूखण्ड बनाकर कब्जा कर लिया हो। वादी ने उपरोक्त भूखण्डों के पास में जो रास्ता चलता है, उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। गलत तरीके से राशि जमा होने पर वादी को कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। वादी द्वारा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करने पर ही

उसे नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया था।

4– प्रतिवादी संख्या 3 ने भी वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी उपरोक्त तीनों भूखण्डों का मालिक नहीं है, नगरपालिका की ओर से न तो कोई पट्टा वादी के पक्ष में जारी हुआ और न ही कोई पंजीबंद्ध बयनामा वादी के पक्ष में है एवं वादी को नगरपालिका ने कोई कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया है। वादी का इस भूखण्ड पर कोई मालिकाना हक नहीं है, न कब्जा है और कब्जा करता है तो वह भी अतिक्रमी की तारीफ में आता है। अतिक्रमी को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड पर ही काबिज है।

5– प्रतिवादी संख्या 4 ने भी वाद पत्र में उल्लेखित अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादी के पास वादग्रस्त सम्पति का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 अपने भूखण्ड का वास्तविक स्वामी है, जिसके विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। निष्कर्षतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे।

6– उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर दिनांक 01–04–2009 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये–

1–आया चैतन्य नगर कॉलोनी, मेड़तासिटी में प्लॉट नंबर ए–21, ए–22 व ए–23, जिसे नजरी नक्शा में ए.बी.सी.डी.दर्शाया है, वादी के कब्जे शुदा है?

...वादी

2–आया प्रतिवादी नंबर 3 अवैध रूप से प्लॉट नंबर ए–24 की जगह पर वादी के प्लॉट पर कब्जा करने हेतु अपना प्लॉट वादी की भूमि पर सेट करवाना चाहता है?

....वादी

3–आया प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने बी.जी.एच.डी.रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है ?

....वादी

4–आया प्रतिवादीगण अवैध रूप से ए.बी.सी.डी. प्लॉट पर रास्ता कायम करने पर उतारू है ?,

....वादी

5–आया दावा मियाद बाहर है ?

....प्रतिवादीगण

6–आया specific Performance के बिना निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है ?

.....प्रतिवादीगण

7–आया दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है ?

....प्रतिवादीगण

8–आया वादी द्वारा बताये गये प्लॉट ए–21, ए–22 व ए–23 के संबंध में तथ्यों के आधार पर वादी के बेचाननामें बेनामी बेचाननामों की तारीफ में आते हैं, जिससे वादी दावे में बतायी गयी सम्पतियों का मालिक नहीं है?

....प्रतिवादी–3

9–आया वादी आउट ऑफ पजेशन है, जिससे वादी का दावा काबिल खारिज है ?

....प्रतिवादी–3

10–अनुतोष ?

7– वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी.ड.1 के रूप में, पी.ड.2 महेन्द्र एवं पी.ड.3 ओमप्रकाश को परीक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 50 को प्रस्तुत किये।

8– प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

9– प्रतिवादी संख्या 3 ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं को डी.ड.3 के रूप में परीक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए.1 एवं प्रदर्श ए.2 को प्रस्तुत किये।

10– तत्पश्चात् विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण के उपरान्त उपरोक्त विवाद्यकों पर अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आलोच्य निर्णय दिनांक 28–09–2013 द्वारा सव्यय डिक्री कर निम्न आदेश पारित किया–

''वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चैतन्य नगर कॉलोनी, मेड़तासिटी के प्लॉट

नंबर ए.21, ए.22 व ए.23 में नीलामी कार्यवाही दिनांक 18–12–81 नगरपालिका मण्डल मेड़ता की मिसल संख्या पी.62/75–76 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के कब्जे के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बिना विधिक प्रकिया अपनाए किसी प्रकार की बाधा दखल व दस्तंदाजी न तो स्वयं करें व ना ही किसी से करवावें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।''

11— मैने उभय पक्ष की बहस सुनी।

12— विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के ज्ञापन में उल्लेखित आधारों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि विवादित भूखण्ड की नीलामी में बोली प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में छूटी थी, जिसके अनुसार उपरोक्त प्रत्यर्थीगण को नीलामी की 3/4 राशि बोली दिनांक से एक माह की अवधि में जमा करवानी थी, लेकिन उनके द्वारा एक माह की अवधि में शेष 3/4 राशि जमा नहीं करवायी गयी। उपरोक्त एक माह की अवधि के पश्चात् अग्रिम एक माह तक नीलामी राशि जमा करने का अध्यक्ष नगरपालिका को अधिकार रहता है, तत्पश्चात् उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के बाद नीलामी राशि मात्र राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही जमा करवायी जा सकती है, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने विहित समयावधि में किसी प्रकार की राशि नगरपालिका में जमा नहीं करवायी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी द्वारा अभिवचित तथ्यों के अनुसार राशि नीलामी दिनांक से लगभग पांच वर्ष पश्चात् तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष के आदेश से जमा करवायी गयी है, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष को इतनी दीर्घावधि के पश्चात् राशि जमा करने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त राशि गलत रूप से जमा करवायी गयी है। इसीलिए नगरपालिका द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में किसी प्रकार का कोई विकय पत्र अथवा पट्टा निष्पादित एवं पंजीयन नहीं करवाया गया है, ना ही नगरपालिका द्वारा उपरोक्त प्रत्यर्थीगण को वादग्रस्त भूखण्डों का कोई कब्जा सुपुर्द किया गया है। वादग्रस्त भूखण्डों पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा नहीं है, बल्कि प्रत्यर्थीगण सार्वजनिक रास्ते को रोककर अनाधिकृत रूप से अतिकमण करना चाहते हैं, जिस हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को नगरपालिका द्वारा

विभिन्न सूचना पत्र प्रदान किये गये हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की उपेक्षा कर प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने में सारवान त्रुटि की है। विवादित सम्पति का अपीलार्थी ही वास्तविक स्वामी हैं।

13— इसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि विवादित सम्पति उनके द्वारा नगरपालिका से नीलामी में खरीदी गयी है और उसके पश्चात् से ही विवादित सम्पति पर उनका कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण विवादित सम्पति पर विधिक रूप से काबिज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

14— प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 6 के विद्वान् अभिभाषक ने भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक सम्पति पर कब्जा करना चाहते है, वे विवादित सम्पति के स्वामी नहीं है। अतः विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

15— मैंने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं सुसंगत विधि का आद्योपान्त अवलोकन किया।

16— पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सुस्थापित विधि के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि क्या विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28—09—2013 को पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत् है ?

17— उपरोक्त पृष्ठभूमि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में कुल दस विवाद्यक विरचित किये गये थे, जिनमें से मात्र विवाद्यक संख्या एक वादी के पक्ष में निर्णीत किया गया था एवं शेष विरचित विवाद्यक संख्या 2 से 4 वादी के विरूद्ध निर्णीत किये गये थे एवं विवाद्यक संख्या 5 से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये गये थे।

18— विवाद्यक संख्या एक वादी के पक्ष में निर्णीत होने मात्र के कारण ही विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद में वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा

की डिक्री पारित की है। अतः विवाद्यक संख्या एक के संबंध में मेरा विवेचन निम्न प्रकार से है–

19– उपरोक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने वादी राधामोहन के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं स्वयं प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी के सशपथ कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित सम्पति पर प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का कब्जा है। इस संबंध में पी.ड.1 प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी की प्रतिपरीक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने 1981 में नीलामी करने पर कब्जा देने की बात कही है, परन्तु नगरपालिका द्वारा कब्जा देने एवं प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी द्वारा कब्जा प्राप्त करने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई लिखित प्रलेख प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है।

20– यह स्वीकृत स्थिति है कि नगरपालिका द्वारा भूखण्ड का विक्रय करने के पश्चात नियमानुसार भूखण्ड का कब्जा देते समय कब्जा प्रदान करने का दस्तावेज विरचित कर उस पर कब्जा प्राप्त करने वाले और कब्जा देने वाले दोनों के हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही कब्जा दिया जाता हैं, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया है। यदि ऐसा कोई प्रलेख अस्तित्व में था/है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने/करवाने का भार मात्र प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का था।

21– यह भी स्वीकृत स्थिति है कि विवादित सम्पति अपीलार्थी/प्रतिवादी नगरपालिका की सम्पति है, जिसका कोई स्वत्व संबंधी प्रलेख प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं किया गया है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त सम्पति एक रिक्त भूखण्ड के रूप में है, जिसकी तथाकथित नीलामी आज तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है।

22– विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कब्जे के संबंध में कर्मचारी सुखराम सेन तथा डी.डब्लू.1 चैनरूप द्वारा कब्जे के संबंध में खण्डन नहीं करने का सबूत का भार प्रतिवादी का माना है जो कि विधिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है तथा यह भी सुस्थापित विधि है कि किसी वाद या

कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जायेगा, यदि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य नहीं दी जावे। अतः उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जे के संबंध में सबूत पेश करने की अपेक्षा/निष्कर्ष पूर्णतया विधि विरूद्ध है, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से यह कथन किया जा रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी द्वारा नियमानुसार नीलामी राशि जमा नहीं कराने के कारण उसके स्वत्व के संबंध में कोई प्रलेख निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं किया गया, न ही उसे कब्जा सुपुर्द किया गया।

23— प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का यह भी अभिवचन नहीं है कि वाद संस्थित करने के दिन वादग्रस्त सम्पति पर उसका तय शुदा कब्जा (Settled Possession) था एवं यदि विकल्प में तर्क के आधार पर यह मान भी लिया जावे कि प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का वादग्रस्त सम्पति पर कोई कब्जा है तो भी नगरपालिका द्वारा कब्जा नहीं सौंपने के कारण वह पूर्णतया विधि विरूद्ध है जो कि स्पष्ट रूप से अतिक्रमण की परिधि में आता है।

24— विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवाद्यक में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय (डी.एन.जे. 2004 (एस.सी) पृष्ठ 263) रामेगोड़ा (मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण) बनाम एम.वाराडापा नायडू का अवलंबन लेकर स्वत्व के बिना कब्जा साबित होने पर कब्जा संरक्षित करना मानकर ही विवाद्यक संख्या एक का निर्णय वादी के पक्ष में किया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह सुस्थापित विधि है कि यदि कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध कब्जे में है तो वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त महादेव सवलाराम सेलके एवं अन्य विरूद्ध पुणे म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन एवं अन्य, (1995 (3) एस.सी.सी पृष्ठ 33) में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी होती है।

25— इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त तामिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम ए. विस्वाम (1996) एस.सी.सी पृष्ठ 259) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी भी

प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

26– समान प्रकार से सोपान सुखदेव साबले एवं अन्य विरूद्ध सहायक चेरिटी आयुक्त, (2004 (3) एस.सी.सी पृष्ठ 137) में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिक्रमी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी गलत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग नही किया जा सकता है।

27– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही न्यायिक दृष्टान्त प्रेमजी रतनसे एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य ((1994) 5 एस.सी.सी पृष्ठ 5479) में स्पष्टतयाः यह निष्कर्षित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। यदि यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त सम्पति पर वादी का कब्जा है तो भी कब्जा अविधिक होने से अतिक्रमी होने के कारण अतिक्रमी अथवा वह व्यक्ति, जिसने गलत तरीके से या अवैध तरीके से कब्जा किया है, वास्तविक स्वामी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

28– अतः विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या एक का निर्णय करते समय माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक स्थिति पर दृष्टिपात किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। निष्कर्षतः विवाद्यक संख्या का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

29– चॅूकि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा मात्र विवाद्यक संख्या एक के निर्णय पर ही पूर्णतया आधारित है तथा स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में शेष विरचित विवाद्यकों पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा किसी भी पक्ष ने शेष विरचित विवाद्यकों पर बहस के दौरान कोई बल भी नहीं दिया है। अतः शेष विवाद्यकों पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित नहीं है।

30– चूकि विवाद्यक संख्या एक का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। अतः विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो अपास्त किये जाने तथा

प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

:::आदेश:::

31– निष्कर्षतः अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–09–2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या एक/वादी का वाद निरस्त किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

32– निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जावे।

(प्रमिल कुमार माथुर)
जिला न्यायाधीश
मेडता।

33– निर्णय आज दिनांक 23–07–2018 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं उद्घोषित किया गया।

जिला न्यायाधीश
मेडता।